

12/11/22

पंजाबी राज राष्ट्रीय लोक अदालत
केस नमूना नं 1 में देखा हुआ पंजाबी का
अवलीका क्रम। मुलाकात के बाद जॉय का
गैरी पाना पर अदालत द्वारा 136 CR Act
स्वीकार किया जाता है। पूर्ण रिकॉर्ड का
प्रति का नाम घोसी लाल के स्थान पर
घोसी लाल कराने के आदेश दिए जाते हैं।
आदेश पुस्तक से लिखा जाकर श. प्र.
क्रमांक 111 पंजाबी फौजल सुमार होकर
बाद वामील वामील कारकल दफावर हो।

(Signature)
12/11/22
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत, पंच.....
मासला


राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

-:: आदेश ::-

दिनांक 12.11.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प झालावाड़ में आज दिनांक 12.11.2022 को पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम समराई, पटवार मण्डल समराई तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता सं० नया 162, 16, 18, 19 पुराना 138, 13, 16, 17 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	समराई	162, 16, 18, 19	राधेश्याम पुत्र घांसी लाल	राधेश्याम पुत्र घीसा लाल




उपखण्ड अधिकारी

झालावाड़

दिनांक:-12.11.2022

क्रमांक:-

1. भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन/बकानी को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. राधेश्याम पुत्र घीसा लाल निवासी समराई तहसील झालरापाटन


उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़